समेकित जनजाति विकास अभिकरण, राँची

(कल्याण शाखा)

(ब्लॉक-ए, कमरा संख्या- 112, ईमेल- dwo.ranchi@gmail.com): 0651-2213348

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति से संबंधित आवश्यक सूचना

छात्र–छात्राओं के लिएः– **वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23** में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत राँची जिला में सूचीबद्ध सभी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा छात्रवृति की राशि उनके खाता में **PFMS के माध्यम से भुगतान किया जाता है।** जिसके लिए छात्र–छात्राओं का बैंक खाता के साथ आधार **SEEDING/MAPPING** होना अनिवार्य है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति राशि का लाभ लेने हेतु सभी योग्य छात्रों/अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर बैंक खाता संख्या को आधार के साथ **SEEDING/MAPPING** कराना **एक सप्ताह के अन्दर** सुनिश्चित करेंगें। छात्रों का बैंक खाता आधार के साथ **SEEDING/MAPPING** नहीं होने पर छात्रवृति का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही छात्रों की होगी। **आधार Mapping / Inactive होने या लिंक नहीं होने** की **जानकारी UIDAI के बेबसाईट https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar-linking-status** पर भी प्राप्त की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति हेतु ऑनलाईन निर्गत जाति, आवसीय एवं आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2022 से) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा छात्र–छात्रा एवं अभिभावक से अनुरोध है कि निकटतम प्रज्ञा केन्द्र में जाकर उपरोक्त प्रमाण पत्र बनायेंगे।

ह०/–
जिला कल्याण पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक.............................. दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

ह०/–
जिला कल्याण पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक 1844 (iv) दिनांक 26/07/2022

प्रतिलिपि :– राँची जिलान्तर्गत सभी शिक्षण संस्थान आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि है कि आप अपने शिक्षण संस्थान के सूचना पट्ट पर सूचना प्रदर्शित करेंगे तथा जिन छात्रों का आवेदन DA/DWO Level पर Pending है, वैसे छात्रों को अपना आधार, बैंक खाता से ACTIVE कराना सुनिश्चित करेंगे।

26.7.22

जिला कल्याण पदाधिकारी,
राँची।